संख्या-12/2021/1050/एक-1-2021-रा0-1

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊः दिनॉकः 06 दिसम्बर, 2021

विषयः- श्रीधर सेवा ट्रस्ट, अशर्फी भवन, अयोध्या द्वारा बिना पूर्वानुमति के 5.0586 हे0 से अधिक अर्जित की गयी भूमि के विनियमितीकरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2189/वरि0लि0/कार्यो0विनिमिती0-जॉच /2021, दिनांक 07.09.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि श्रीधर सेवा ट्रस्ट अशर्फी भवन, अयोध्या द्वारा वर्ष 2017 में भिन्न-भिन्न पंजीकृत विलेखों द्वारा जनपद अयोध्या की तहसील मिल्कीपुर के ग्राम करमडांड़ा, सारी चुमना व ग्राम मेंहदौना में कुल 9.440हे0 भूमि अर्जित की गयी है। उपरोक्त सभी भूमि की रजिस्ट्री ट्रस्ट के नाम दिनांक 06.12.2017 एवं 12.12.2017 को की गयी। इस अन्तरण के समय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के धारा 89(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत विहित सीमा 5.0586हे0 से 4.3814हे0 भूमि अधिक अर्जित की गई है। उक्त ट्रस्ट द्वारा विहित सीमा 5.0586हे0 से अधिक भूमि क्रय करने हेतु राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति नहीं ली गयी थी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 89 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल श्रीधर सेवा ट्रस्ट अशर्फी भवन, अयोध्या द्वारा कृषि महाविद्यालय तथा अयोध्या विद्यापीठ कालेज ऑफ फार्मेसी एवं अयोध्या विद्यापीठ कालेज आफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल सांइसेज की स्थापना हेतु ग्राम करमडांड़ा, तहसील मिल्कीपुर, जनपद अयोध्या स्थित बिना पूर्वानुमति के अर्जित गाटा संख्या-1554मि0/0.7164हे0, गाटा संख्या-1586/0.0800हे0, गाटा संख्या-1651/2.1700हे0 एवं ग्राम मेंहदौना, तहसील मिल्कीपुर, जनपद अयोध्या स्थित गाटा संख्या-1213मि0/0.1000हे0, गाटा संख्या-1214मि0/1.3150हे0 में अर्थात् कुल 4.3814 हे0 भूमि के विनियमितीकरण की अनुमति रुपया 2412900/- (चौबीस लाख बारह हजार नौ सौ रु0) जुर्माने के संदाय से छूट प्रदान करते हुए दिये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करती हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
5. श्री श्रीधराचार्य, अध्यक्ष, श्रीधर सेवा ट्रस्ट, अशर्फी भवन, रामकोट, अयोध्या-224123।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।